राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1739/2011/कोटा.

मैसर्स रामको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, I.P.I.A., कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत–II, कोटा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर अजमेर. .....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 2373/2011/कोटा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–II, कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रामको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, I.P.I.A., कोटा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/05/2017

निर्णय

1. उक्त दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 17.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें सहायक आयुक्त, विशेष वृत–द्वितीय, कोटा द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिये पारित आदेश दिनांक 16.04.2010 में एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स के निर्माण कर विक्रय पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था साथ ही अदत्त कर पर ब्याज एवं विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने पर शास्ति भी आरोपित की गयी थी। उक्त कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की गयी थी जिसमें आरोपित कर रूपये 89,93,356/– को यथावत रखा गया परन्तु ब्याज रूपये 2,93,322/– एवं शास्ति रूपये 100/– को अपास्त किया गया था।

2. ये दोनों अपीलें एक ही आदेश से सम्बन्धित होने तथा दोनों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जाती है।

लगातार.....2

3. प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह था कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005—54 दिनांक 01.06.2006 एवं 2005—62 दिनांक 05.07.2006 के जरिये राज्य के भीतर एस्बेस्टोस शीट्स के निर्माण में कच्चे माल के रूप में 25 प्रतिशत से अधिक फ्लाईऐश का उपयोग करने की शर्त पर निर्मित शीट्स का विक्रय करमुक्त किया गया था। इस अधिसूचना में दिनांक 05.07.2006 को संशोधन कर यह शर्त जोड़ी गई थी कि एस्बेस्टोस शीट्स का उत्पादन राज्य के भीतर दिनांक 31.12.2006 से पूर्व प्रारम्भ कर दिया जावे एवं वह करमुक्ति दिनांक 23.01.2010 तक जारी रखी जायेगी तथा यह वस्तु विक्रेता के पंजीयन प्रमाण—पत्र में दर्ज हो। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय की जाने वाली एस्बेस्टोस शीट्स राजस्थान राज्य के बाहर निर्मित होने से उस माल पर करमुक्ति प्राप्त नहीं होने के प्रश्न पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्ष 2007 में याचिका दायर की गयी थी। चूंकि कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.4.2010 एवं अपीलीय आदेश दिनांक 17.6.2010 तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में इस याचिका पर कोई निर्णय नहीं दिया गया था ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी को करमुक्ति का लाभ नहीं दिया गया था एवं कर आरोपित किया गया था जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखने पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीलीय आदेश में आरोपित कर को यथावत रखा गया था परन्तु अनुवर्ती ब्याज को अपास्त कर दिया गया था जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा भी अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, मिसल का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में विधि का विवादित बिन्दु यह था कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 01.06.2006 एवं 05.07.2006 के जरिये एस्बेस्टोस शीट्स की बिक्री पर करमुक्ति प्रदान की गई थी उसमें यह शर्त थी कि वह माल राज्य के भीतर निर्मित हो एवं 25 प्रतिशत फ्लाईऐश का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जावे। उक्त अधिसूचना की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि राज्य के बाहर निर्मित माल पर करमुक्ति नहीं देना समानता के अधिकार के विरूद्ध है। इस सम्बन्ध में इसी अधिसूचना के विरूद्ध इसी बिन्दु पर प्रस्तुत याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय **मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (आर.एल.डब्ल्यू. 2007 (4) राज. 3462 निर्णय दिनांक 02.08.2007)** में राज्य सरकार की

लगातार.....3

अधिसूचनाओं को विधिसम्मत ठहराया जा चुका है एवं राज्य के भीतर के उत्पादकों को ही करमुक्ति का लाभ दिया जाना निर्णीत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी जिनका एस्बेस्टोस शीट्स का उत्पादन राज्य के बाहर किया हुआ है, उसके राज्य में बिक्री पर करमुक्ति का लाभ देय नहीं है। समान मामलों में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 422—423/2010/जयपुर खुटेटा स्टील्स जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन—द्वितीय, जयपुर में निर्णय दिनांक 21.07.2016** पारित किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील खारिज की जा चुकी है अतः यह प्रकरण उक्त निर्णय से पूर्णतया आच्छादित होने से अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

7. विभाग की अपील में अपीलीय अधिकारी के द्वारा आरोपित ब्याज को खारिज किये जाने को चुनौती दी गयी है। इस सम्बन्ध में चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोपणीय कर को विधिसम्मत ठहराया जा चुका है फलतः देय कर राजकोष में विलम्ब से जमा होने के कारण ब्याज का आरोपण विधि अनुकूल है अतः अपीलीय आदेश को ब्याज के बिन्दु पर अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित ब्याज को पुनर्स्थापित किया जाता है। फलतः अपीलार्थी राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल.जैन)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष